# प्रारंभिक परीक्षा

## विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी

### संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सहमति के लिए भेजे गए 12 विधेयकों में ऐसा क्या "गलत" लगा कि उन्हें 3 साल से अधिक समय तक लंबित रखा गया।

### अनुच्छेद 200: विधेयक से संबंधित राज्यपाल की शक्ति -

- विधेयक पर सहमति प्रदान करना।
- विधेयक पर सहमति रोकना।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना।
- विधेयक को (जब तक कि यह धन विधेयक न हो) पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा देना।

- यदि विधेयक पुनः पारित हो जाता है तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति रोक नहीं सकते।
- **नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स केस 2016:** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को केवल यह निर्णय लेने तक सीमित कर दिया कि क्या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, तथा कहा कि ऐसी कार्रवाइयां न्यायिक समीक्षा के लिए खुली हैं।

### अनुच्छेद 201: आरक्षित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति

- विधेयक पर सहमति प्रदान करना।
- विधेयक पर सहमति रोकना।
- विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना।
- **आरक्षित विधेयकों पर पुनर्विचार:**
    - विधानमंडल को लौटाए गए विधेयक पर छह महीने के भीतर पुनर्विचार करना होगा।
    - पुनः पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
    - राष्ट्रपति पुनर्विचारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।

### राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों की श्रेणियाँ

- **अनिवार्य आरक्षण**:
    - उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक।
    - कुछ शर्तों के अधीन पानी या बिजली पर कर लगाने वाले विधेयक।
    - वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित विधेयक।
- **विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विवेकाधीन आरक्षण**:
    - अनुच्छेद 14 और 19 से उन्मुक्ति प्रदान करना:
        - सम्पदा का अधिग्रहण।
        - राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना।
    - समवर्ती सूची के विषयों में संघीय कानूनों के साथ टकराव को हल करना।
    - व्यापार और वाणिज्य प्रतिबंधों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- **सामान्य आरक्षण**: वे विधेयक जो विशिष्ट श्रेणियों में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा आरक्षित हैं।

## विभिन्न आयोगों की सिफारिशें

| आयोग | सिफारिशें |
|---|---|
| **सरकारिया आयोग** | राज्यपालों को असंवैधानिक विधेयकों को छोड़कर अनुच्छेद 200 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। |
| | राज्यपाल निष्पक्ष होने चाहिए, हाल ही में राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होने चाहिए, तथा सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य नहीं होने चाहिए। |
| **पुंछी आयोग** | राज्यपालों को 6 महीने के भीतर विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए। |
| | राज्यपालों पर राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। |
| | राज्य के मुख्यमंत्री सहित एक समिति को राज्यपालों का चयन करना चाहिए। |
| **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** | राज्यपालों को चार महीने के भीतर विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए। |
| | राज्यपालों की सहमति रोकने की शक्ति संवैधानिक रूप से निर्धारित मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। |
| **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग** | अंतर-राज्यीय परिषद को राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। |
| **केंद्र-राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति** | राज्यपालों को राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। |

**स्रोत:** **The Hindu: What was 'gross' about the 12 Bills kept pending for 3 years: SC to T.N. Governor**

# मिराज-2000 विमान

## संदर्भ

भारतीय वायु सेना (IAF) का एक विमान, मिराज-2000, सिस्टम में खराबी के कारण मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

## मिराज-2000 विमान के बारे में -

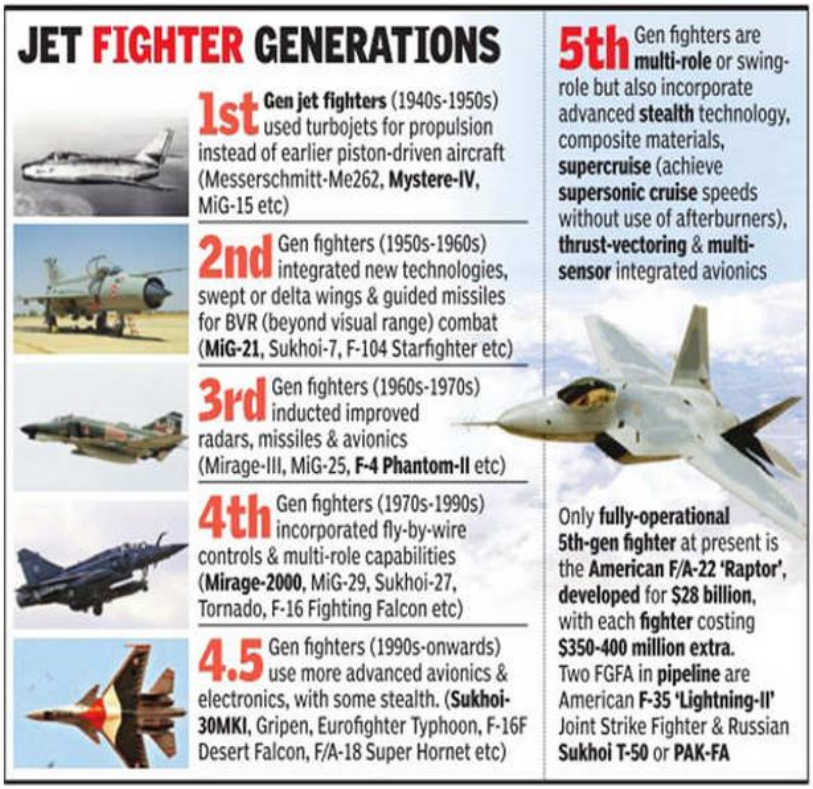


- **यह एक फ्रांसीसी मल्टीरोल, सिंगल-इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है।**
- **उपलब्ध**: सिंगल-सीटर या टू-सीटर मल्टीरोल फाइटर के रूप में।
- **क्षमता**: हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें।
- **महत्व**: 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

**स्रोत:** [The Hindu: IAF's Mirage 2000 crashes near Gwalior after system malfunction; pilots safe]

# फेसलेस मूल्यांकन योजना(Faceless Assessment Scheme)

## संदर्भ

सीबीआई ने आयकर विभाग की "फेसलेस मूल्यांकन योजना" को कमजोर करने का कथित प्रयास करने के आरोप में नौ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

## योजना के बारे में -

- **आयकर विभाग द्वारा 2019 में "पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान" पहल के हिस्से के रूप में फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू की गई थी।**
- **उद्देश्य**: करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमने-सामने की बातचीत को खत्म करना, भ्रष्टाचार को कम करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और कर मूल्यांकन प्रक्रिया में दक्षता में सुधार करना।
- **कानूनी ढांचा:** यह आयकर अधिनियम की धारा 144B द्वारा समर्थित है, जो निम्नलिखित को अनिवार्य करता है:
    - कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच कोई शारीरिक बैठक नहीं।
    - सभी नोटिस और प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है।
    - तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मामलों का यादृच्छिक आवंटन।

## फेसलेस मूल्यांकन कैसे काम करता है -

यह योजना पूर्णतः डिजिटल और केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें कई विशिष्ट इकाइयाँ शामिल होती हैं:

- **राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (NeAC):** नोटिस जारी करने और मूल्यांकन-संबंधी संचार के समन्वय के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है।
    - **क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्रों (ReACs)** को यादृच्छिक रूप से मामले आवंटित करता है।
- **क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (ReAC):** NeAC द्वारा सौंपे गए मूल्यांकन मामलों को संभालने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं।
    - **मूल्यांकन इकाइयाँ (एयू), सत्यापन इकाइयाँ (वीयू), समीक्षा इकाइयाँ (आरयू) और तकनीकी इकाइयाँ (टीयू)** शामिल हैं।
- **डिजिटल प्रक्रिया प्रवाह:**
    - **स्वचालित केस चयन:** मामलों का चयन एआई-संचालित जोखिम विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक नोटिस:** सभी नोटिस आयकर पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से भेजे जाते हैं।
    - **करदाता द्वारा प्रस्तुतिकरण:** करदाता ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।
    - **टीमों द्वारा मूल्यांकन:** कई टीमें निष्पक्षता और सटीकता के लिए स्वतंत्र रूप से मामलों की समीक्षा करती हैं।
    - **अंतिम आदेश जारी:** अंतिम मूल्यांकन आदेश बिना किसी मानवीय संपर्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है।

**स्रोत:** [The Hindu: CBI books nine persons for 'sabotaging' I-T Dept. scheme]

# डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान

## संदर्भ

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने पर्यावरण मंत्रालय से असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक अनुसंधान एवं विकास (R&D) अध्ययन को मंजूरी देने का आग्रह किया है, जिसके लिए निष्कर्षण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

## डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में -

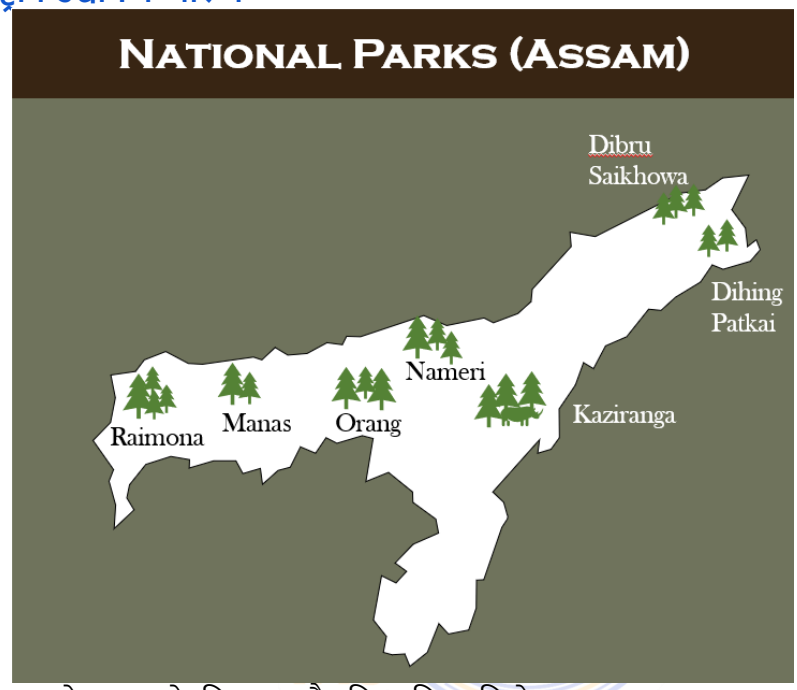


- **स्थित**: भारत के असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले।
- **घोषित**: 1999 में राष्ट्रीय उद्यान और 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में।
- **भूगोल**: उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों और दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा है।
- **वनस्पति और जीव**: मूल रूप से दुर्लभ **वाइट-विंगड वुड डक की रक्षा के लिए स्थापित**, पार्क अब बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए और जंगली घोड़ों (द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़े गए घोड़ों के वंशज) जैसी विभिन्न प्रजातियों को आश्रय देता है।
    - यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जिसमें **300 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ दर्ज** हैं।

**स्रोत:** **Indian Express: Told it can't drill in a national park, oil turns into a research project**

# डंकी रूट(Dunki Route)

## संदर्भ

104 निर्वासित भारतीयों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा। इनमें से कई लोग 'डंकी रूट' के ज़रिए कई देशों से होते हुए भारत पहुंचे।

## डंकी रूट के बारे में -

- **यह शब्द प्रवासियों द्वारा अमेरिकी सीमा तक पहुंचने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों से होकर की जाने वाली यात्रा के लिए प्रयुक्त होता है।**
- यह यात्रा अक्सर इक्वाडोर, बोलीविया या गुयाना जैसे देशों से शुरू होती है, जो भारतीय नागरिकों के लिए अपेक्षाकृत आसान वीज़ा प्रक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं।
- यात्रियों को खतरनाक **डेरिएन गैप** का सामना करना पड़ता है, जो कोलंबिया और पनामा के बीच एक वन क्षेत्र है, जो स्वच्छ जल की कमी, खतरनाक वन्य जीवन और आपराधिक गिरोहों जैसी चुनौतियों के लिए जाना जाता है।
- पनामा के बाद यह मार्ग आमतौर पर ग्वाटेमाला से होकर मैक्सिको में प्रवेश करता है, जहां प्रवासियों को बाड़ कूदने और रियो ग्रांडे सहित अन्य नदियों को पार करने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- इस यात्रा की लागत 15 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक हो सकती है, जिसमें मानव तस्करी गिरोहों से लेन-देन भी शामिल है।
- भारतीय एजेंट अमेरिका तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरे मार्ग में तस्करों के साथ मिलकर काम करते हैं।
- अंतर्निहित जोखिमों और खतरों के बावजूद, कई प्रवासी अमेरिकी सपने को साकार करने की आशा से प्रेरित होकर इस खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं।

### कुछ भारतीय अवैध प्रवास की कठिनाइयों से क्यों गुजरते हैं?

- **आर्थिक अवसरों की कमी**
  - **बेरोजगारी एवं अल्प-रोजगार:** आर्थिक विकास के बावजूद, अनेक भारतीय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छे वेतन वाली स्थिर नौकरियां पाने के लिए संघर्ष करते हैं।
  - **यहां तक कि विकसित राज्यों में भी नौकरियों की कमी है:** अवैध प्रवासी अक्सर गुजरात और पंजाब जैसे आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों से आते हैं, जहां उच्च वेतन वाली नौकरियों की कमी के कारण लोग विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।
- **विदेश में बेहतर आय की संभावनाएं**
  - **विकसित देशों में उच्च वेतन:** अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में कम-कुशल नौकरियों में भी भारत की कई पेशेवर नौकरियों की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलता है।
  - **वित्तीय स्थिरता की आकांक्षा:** कई अवैध प्रवासी अपने घर पैसा भेजने और अपने परिवार की वित्तीय स्थिति सुधारने की आशा रखते हैं।
- **सामाजिक एवं सहकर्मी दबाव**
  - **स्थापित प्रवासी नेटवर्क:** पंजाब और गुजरात के समुदायों में बड़ी संख्या में विदेशी आबादी रहती है, जिससे प्रवासन एक सामाजिक आदर्श बन गया है।
  - **परिवार और साथियों की अपेक्षाएं:** विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों की सफलता की कहानियां प्रवास के लिए दबाव बनाती हैं, जिसके कारण कानूनी विकल्प उपलब्ध न होने पर लोग अक्सर अवैध रास्ते अपना लेते हैं।
- **पश्चिम में बेहतर जीवन की धारणा**
  - **"प्रथम विश्व का सपना":** कई लोग मानते हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देश बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - **सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव:** फिल्मों, सोशल मीडिया और समाचारों में प्रदर्शित पश्चिमी जीवन शैली प्रवास को अधिक वांछनीय बनाती है।
- **कानूनी प्रवासन बाधाएं और उच्च लागत**
  - **कड़े वीज़ा नियम:** कई भारतीय कुशल श्रमिक वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, जिससे उन्हें अवैध मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  - **कानूनी प्रवास की उच्च लागत:** छात्र और कार्य वीज़ा के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे कई लोग वहन नहीं कर सकते।

**स्रोत:** **Indian Express: Jumping fences, crossing jungles: How migrants use 'dunki routes' to reach US**

# समुद्री हीटवेव (MHWs)

## संदर्भ

गैर-लाभकारी समूह क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार **जनवरी 2025 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर समुद्री हीटवेव (MHWs) के कारण 30,000 से अधिक मछलियों की मौत हो गई।**

## समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves-MHWs) क्या हैं?

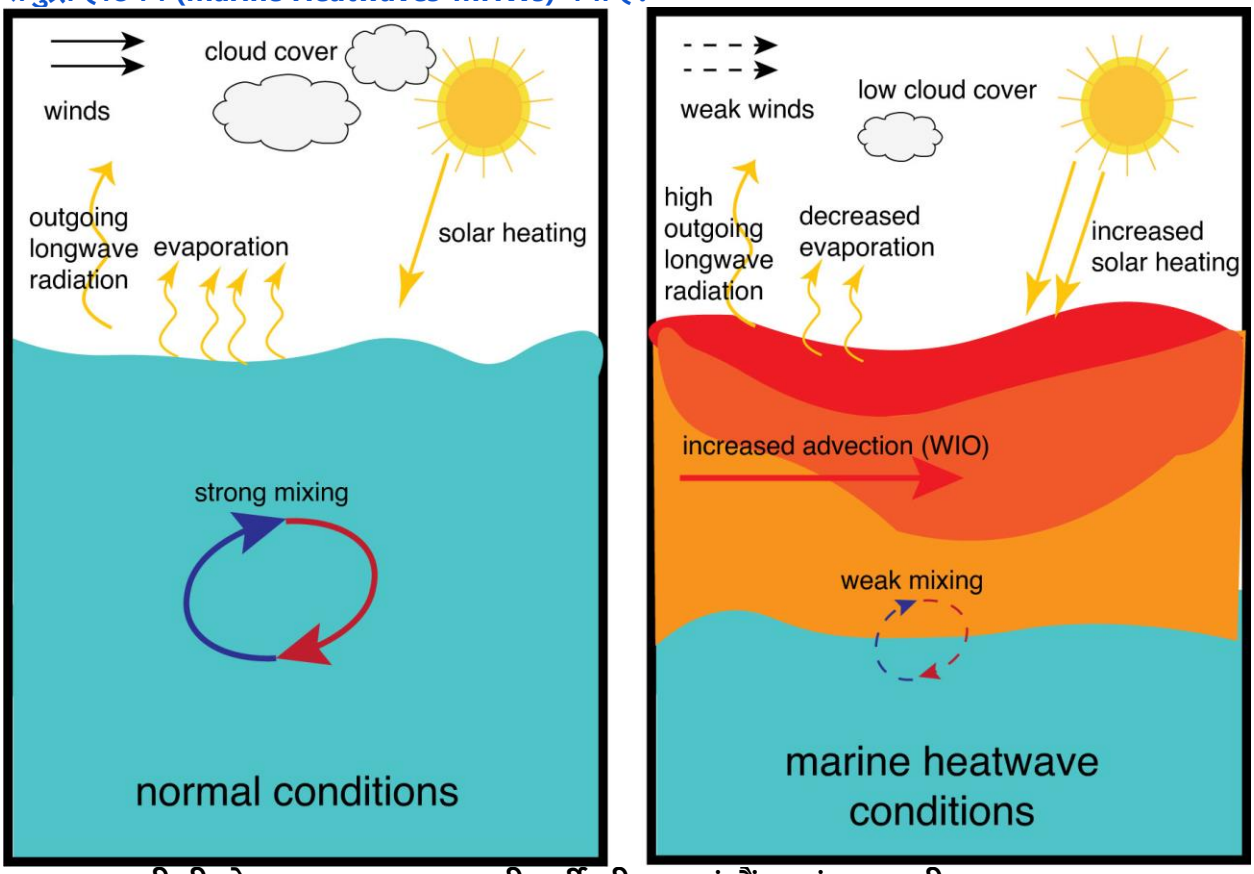


- **समुद्री हीटवेव (MHW) चरम समुद्री गर्मी की घटनाएं हैं, जहां समुद्र की सतह का तापमान (SST) कम से कम पांच दिनों के लिए सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है।**
- ये बड़े समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हुए हफ्तों, महीनों या वर्षों तक रह सकती हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि 1982 के बाद से MHW की आवृत्ति दोगुनी हो गई है, तथा पिछले दशक की तुलना में इसकी अवधि में 50% की वृद्धि हुई है।

## समुद्री हीटवेव क्यों तीव्र हो गई हैं?

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का 90% महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है।
  - 1850 के बाद से वैश्विक समुद्र तल तापमान में 0.9°C की वृद्धि हुई है, जिसमें से 0.6°C की वृद्धि पिछले 40 वर्षों में हुई है।
- **MHW में अनुमानित वृद्धि:**
  - 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर, MHWs की आवृत्ति 16 गुना अधिक हो सकती है।

- 2.0°C तापमान वृद्धि पर इनकी आवृत्ति 23 गुना अधिक हो सकती है।

- **पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती विसंगतियाँ:**
  - **सितंबर 2024:** एसएसटी विसंगतियाँ सामान्य से 1.2°C अधिक थीं।
  - **जनवरी 2025:** समुद्र तल से नीचे की ओर तापमान में विसंगतियां कई बार 2°C को पार कर गईं, जिससे MHW की स्थिति और खराब हो गई।

## समुद्री हीटवेव का प्रभाव

- **पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान:** इन घटनाओं के कारण प्रवाल विरंजन, समुद्री घास का विनाश, समुद्री घास के जंगलों की हानि के कारण आवास नष्ट हो जाते हैं**,** जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - **उदाहरण के लिए,** एक पानी के नीचे के सर्वेक्षण से पता चला है कि मई 2020 में समुद्री हीटवेव के बाद तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% प्रवाल विरंजित हो गए।
  - **केल्प वन का विनाश:** केल्प ठंडे पानी में पनपते हैं, और MHW इन आवासों को नष्ट कर देते हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता प्रभावित होती है।
  - **प्रवाल विरंजन:** गर्म पानी प्रवालों पर दबाव डालता है, उनके प्रजनन को कम करता है, और उन्हें बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - **2024 ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीचिंग:** MHW-प्रेरित तनाव के कारण "विनाशकारी" स्तर तक पहुंच गई, जो इसकी सातवीं सामूहिक ब्लीचिंग घटना है।

**स्रोत:** **Indian Express: Climate Crisis Intensifying Marine Heatwaves**

# संपादकीय सारांश

## भारत के ताप विद्युत उत्सर्जन को विनियमित करने की गाथा

### संदर्भ

30 दिसंबर, 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण संरक्षण नियमों में संशोधन किया, जिससे थर्मल पावर प्लांटों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ($SO_2$) उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की अनुपालन समय सीमा को तीन साल के लिए टाल दिया गया।

### समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- लगभग 20 गीगावॉट के थर्मल प्लांट (घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित) के लिए पिछली समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 थी।
- 2015 में पहली बार मानदंड लागू होने के बाद से यह समय सीमा का चौथा विस्तार है।

### SO2 उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन में देरी के संबंध में चिंताएं -

- **वायु प्रदूषण प्रभाव:** $SO_2$ अम्लीय वर्षा और द्वितीयक एरोसोल का प्रमुख कारण है, जिससे श्वसन संबंधी रोग और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** थर्मल प्लांटों के पास रहने वाले लोग लंबे समय तक निष्क्रियता के कारण खराब वायु गुणवत्ता से पीड़ित हैं।
- **SO2 उत्सर्जन में वृद्धि**: उपग्रह चित्रों से पता चला है कि भारत में थर्मल पावर प्लांटों से SO2 उत्सर्जन 2019 से बढ़ गया है।
    - 2022 में, भारत वैश्विक स्तर पर **SO**2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक था, जो दुनिया के मानवजनित उत्सर्जन का 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था।

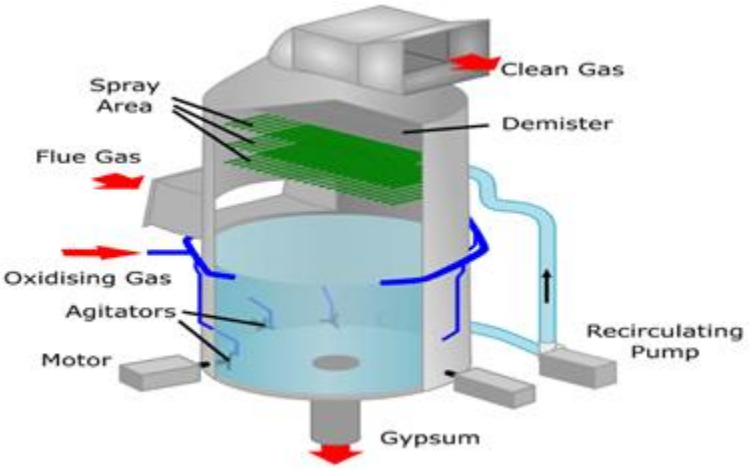


- **गैर-अनुपालन**: कई प्रदूषणकारी ताप विद्युत संयंत्र SO2 के उत्सर्जन मानकों को लागू करने की कई समय-सीमाओं से चूक गए हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) ने पाया कि देश के 92% कोयला विद्युत संयंत्र **फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)** के बिना काम करते हैं।
- **असंगत प्रभाव:** ताप विद्युत संयंत्र पराली जलाने जैसे स्रोतों की तुलना में काफी अधिक PM2.5 और SO2 उत्सर्जित करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** फसल अवशेष जलाने की तुलना में थर्मल पावर प्लांट 10 गुना अधिक पीएम 2.5 तथा 200 गुना अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।
- **ढीला प्रवर्तन:** पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंधों और दंड की तुलना में ताप विद्युत संयंत्रों पर विनियामक प्रवर्तन कम कठोर है।
- **उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ:** विद्युत विनियामकों ने FGD लागत को उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति दे दी, भले ही उत्सर्जन मानदंडों को पूरा न किया गया हो।

- जिन संयंत्रों में FGD स्थापित हैं, वे उच्च विद्युत उत्पादन लागत से बचने के लिए उन्हें संचालित नहीं कर सकते, जिससे सार्वजनिक व्यय व्यर्थ हो जाता है।

## FGD स्थापना का प्रभाव

- **आईआईटी दिल्ली अध्ययन:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों में FGD प्रौद्योगिकी को लागू करने से संयंत्रों से 60-80 किमी दूर तक SO2 की सांद्रता 55% तक कम हो सकती है।
  - इसने ताप विद्युत संयंत्र स्थल से 200 किमी दूर तक सल्फेट एरोसोल की सांद्रता में 30% तक की महत्वपूर्ण कमी भी दर्शाई।
- **CSIR-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) अध्ययन:** CSIR-NEERI की मसौदा अध्ययन रिपोर्ट में FGD इकाइयों की स्थापना के नए आदेशों को रोकने की सिफारिश की गई है।

## आगे की राह

- **चल रहे विलंब का पुनर्मूल्यांकन**: चल रहे विलंब का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है।
- **कठोर प्रवर्तन:** उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों पर विनियामक प्रवर्तन में सुधार किया जाना चाहिए। गैर-अनुपालन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है।
- **FGD स्थापना को प्राथमिकता देना:** निजी और राज्य संचालित बिजली संयंत्रों में FGD प्रणालियों की स्थापना में तेजी लाएं, क्योंकि इनमें कटौती की अधिकतम संभावना है।
- **जलवायु कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण:** सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रण में रखने के लिए जलवायु कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना आवश्यक है।

**स्रोत:** **The Hindu: The saga of regulating India's thermal power emissions**

# भारत के विशाल डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र की क्या समस्या है?

## संदर्भ

भारत का डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यह विखंडित, अल्प-विनियमित और असमान रूप से वितरित है।

**तथ्य**

- उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश भर में लगभग 300,000 प्रयोगशालाएँ हैं, और यह संख्या बढ़ रही है।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर, डायग्नोस्टिक्स उद्योग का लगभग 9% हिस्सा है, जिसका अनुमान वित्त वर्ष 2024 में ₹860 बिलियन है, और वित्त वर्ष 2028 तक लगभग ₹1,275 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।

## भारत के डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी:** योग्य पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब तकनीशियन और रेडियोलॉजिस्ट की कमी।
    - कई प्रयोगशालाएं अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो पातीं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।
    - **"भूतिया कर्मचारी और डॉक्टर"**: योग्य कर्मचारियों का झूठा दावा करके लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रयोगशालाएँ।
    - **उदाहरण के लिए,** कोलकाता में अंतिम वर्ष के एमडी पैथोलॉजी छात्र ने बताया कि उस पर काम का बोझ बहुत अधिक है (प्रतिदिन 800 से अधिक जांचें) और स्टाफ की भी भारी कमी है।
- **अपर्याप्त विनियमन और खराब कार्यान्वयन:** अनेक छोटी, असंगठित प्रयोगशालाओं के कारण खंडित बाजार।
    - **क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (पंजीकरण एवं विनियमन) 2010 को** सभी राज्यों में पूरी तरह से अपनाया या प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया।
        - केवल 12 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अधिनियम को अपनाया है।
    - मजबूत विनियामक वातावरण के अभाव के कारण मानकों में भिन्नता आती है।
    - उचित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव, संभावित रूप से प्रकोप को जन्म देता है।
    - **उदाहरण के लिए**, 2009 में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए राज्य परिषद गठित करने की घोषणा को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।
- **खंडित एवं प्रतिस्पर्धी बाजार**: प्रवेश में कम बाधाएं।
    - कई स्टैंडअलोन कर्ता
    - इससे गुणवत्ता मानकों में असंगति पैदा होती है।
- **भिन्न मानक और गुणवत्ता संबंधी चिंताएं**: कई प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
    - उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए संसाधनों की कमी और अपर्याप्त कुशल जनशक्ति के कारण असमान गुणवत्ता मानक।
    - परिणामों की गुणवत्ता और सटीकता पर जोर देने की आवश्यकता है।
- **नैतिक मुद्दे और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार:** बिना उचित पर्यवेक्षण के, पैसे के बदले में डॉक्टरों से हस्ताक्षर "खरीदना"।
    - प्रयोगशालाओं द्वारा धोखाधड़ी से डॉक्टरों के नाम और हस्ताक्षर का उपयोग किया गया।

  - केवल तकनीशियन-आधारित सुविधाएं, जो योग्य रोगविज्ञानियों द्वारा संचालित या स्वामित्व में नहीं हैं।
  - अनेक प्रयोगशालाओं से जुड़े पैथोलॉजिस्टों द्वारा ई-हस्ताक्षर, प्रयोगशालाओं की संख्या पर सीमा के बिना।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन**: डायग्नोस्टिक्स शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों से केवल 24% डायग्नोस्टिक्स राजस्व प्राप्त होता है (वित्त वर्ष 23 तक), जबकि लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है।
  - सरकारी प्रयोगशालाओं में कई खामियां हैं, जिसके कारण उन्हें कम प्राथमिकता दी जाती है (उन्नयन का अभाव, सीमित परिचालन समय, विशेषज्ञों की अनुपलब्धता)।
- **मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याएं:** निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के संबंध में सामान्य चिंता।
  - तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स कार्यक्रम ('टी-डायग्नोस्टिक्स') निःशुल्क परीक्षण उपलब्ध कराकर कुछ राहत प्रदान करता है तथा इससे मरीजों को अपनी जेब से होने वाले महत्वपूर्ण व्यय से भी बचत होती है।
  - हालाँकि, आपूर्ति संबंधी समस्याएं (जैसे, अभिकर्मक) इन कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- **अवास्तविक आवश्यकताएं:** प्रयोगशाला प्रतिनिधियों ने बताया कि केरल राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत स्थान और शैक्षिक आवश्यकताएं अव्यवहारिक हैं।
  - राज्य सरकार अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त पैरामेडिकल डिग्री/डिप्लोमा को भी मान्यता नहीं देती है।
  - तमिलनाडु क्लिनिकल प्रतिष्ठान (विनियमन) नियम, 2018 में संशोधन, नैदानिक प्रयोगशालाओं के लिए नमूना संग्रह हेतु न्यूनतम स्थान निर्धारित करना - ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग फुट और शहरी क्षेत्रों में 500-700 वर्ग फुट।

## आगे की राह

- **कड़े नियमन एवं प्रवर्तन**: सभी डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता अनिवार्य बनाई जाए।
  - क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम का विस्तार कर इसे सभी राज्यों के अंतर्गत लाया जाएगा।
  - फर्जी रिपोर्टों और फर्जी रोग विशेषज्ञों के लिए सख्त दंड लागू करना।
- **जनशक्ति की कमी को दूर करना:** प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की भर्ती बढ़ाई जाए।
  - शहरी क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की अधिकता को रोकने के लिए आवश्यकता-आधारित लाइसेंसिंग को लागू करना।
- **ग्रामीण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार:** शहरी अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए जिला अस्पताल प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
  - सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क/रियायती नैदानिक परीक्षण सुनिश्चित करना।
- **मूल्य निर्धारण एवं सेवा गुणवत्ता का मानकीकरण:** सामान्य नैदानिक परीक्षणों के लिए सरकार द्वारा विनियमित मूल्य निर्धारण लागू करना।
  - सभी प्रयोगशालाओं के लिए एक समान परीक्षण प्रोटोकॉल अनिवार्य करना।
- **जन जागरूकता एवं रोगी अधिकार:** प्रयोगशाला मान्यता और गुणवत्ता जांच के बारे में रोगियों को शिक्षित करना।
  - नैदानिक धोखाधड़ी शिकायतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

**स्रोत:** [The Hindu: What ails India's massive diagnostics sector: putting labs under the lens]

# हालिया केंद्रीय बजट घोषणा में कर की दर में कटौती: तर्क

## संदर्भ

केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लिए कर दरों में अभूतपूर्व कटौती की पेशकश की।

## कर कटौती के पक्ष में तर्क

- **प्रयोज्य आय में वृद्धि:** 1 लाख करोड़ रुपये की कर कटौती से शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों को खर्च करने के लिए अधिक पैसा मिलेगा।
- **उपभोग गुणक प्रभाव:** 0.7 की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) के साथ, उपभोग गुणक पांच अनुमानित है, जिससे 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होगी।
- **उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि:** बढ़ी हुई खपत से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 2.7% और उपभोग वृद्धि में 4.8% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे आर्थिक विस्तार को बल मिलेगा।
- **मांग-संचालित वृद्धि:** उच्च उपभोक्ता व्यय अधिक मांग का संकेत देता है, जिससे व्यवसायों को उत्पादन बढ़ाने और नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **निवेश में वृद्धि:** कर कटौती के विपरीत, जो सरकारी उधारी को बढ़ाती है और निजी निवेश को बाहर कर देती है, यह पीआईटी कटौती मांग और निवेश को एक साथ बढ़ाती है।
- **रोजगार सृजन:** अधिक निवेश से रोजगार सृजन होता है, आय में वृद्धि होती है तथा उपभोग चक्र कायम रहता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को समर्थन:** इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशों में कम धन जाए।
- **शहरी मांग में कमी को संबोधित करना:** जबकि ग्रामीण खपत बढ़ रही है, शहरी मध्यम वर्ग का खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, जिससे यह कर कटौती अच्छी तरह से लक्षित है।
- **कोई बड़ी राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं:** कर कटौती के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर रखा है , जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
- **दीर्घावधि में कर राजस्व में वृद्धि:** उच्च उपभोग और व्यापार विस्तार से कर राजस्व में वृद्धि होती है, जो प्रारंभिक राजस्व हानि की आंशिक भरपाई कर देती है।
- **त्वरित आर्थिक प्रभाव:** बुनियादी ढांचे में निवेश के विपरीत, जिसके परिणाम दिखने में वर्षों लग जाते हैं, कर कटौती तत्काल आर्थिक बढ़ावा देती है।
- **पूंजी निवेश को बढ़ावा:** जहां कर कटौती से अल्पकालिक मांग बढ़ती है, वहीं बुनियादी ढांचे पर खर्च से दीर्घकालिक उत्पादकता और विकास बढ़ता है।
- **आरबीआई की भूमिका के अनुरूप:** आरबीआई एक आसान मौद्रिक नीति अपना सकता है, जिससे कम ब्याज दरें, उच्च निजी निवेश और मजबूत विकास गति को बढ़ावा मिलेगा।

## कर कटौती के विरुद्ध तर्क

- **मध्यम वर्ग के लिए सीमित लाभ:**
    - **सभी मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ नहीं:** नए कर स्लैब केवल उन लोगों पर लागू होते हैं जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, जिससे पुरानी व्यवस्था में 2.5-3 करोड़ करदाता लाभ से वंचित रह जाते हैं।
    - **केवल 50 लाख करदाताओं को लाभ मिलने की संभावना:** भारत के मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को राहत मिलेगी, जिससे इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव के बारे में संदेह पैदा हो रहा है।
- **सरकार द्वारा अतिरंजित राजकोषीय बलिदान:** 1 लाख करोड़ रुपये की कर राहत का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है:

- कर कटौती के बावजूद, व्यक्तिगत आयकर राजस्व 2025-26 में 21.15% बढ़ने का अनुमान है, जो कॉर्पोरेट कर (6.08%) और जीएसटी (10.93%) की वृद्धि से कहीं अधिक है।
- वास्तविक राजकोषीय प्रभाव केवल 25,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो दावा किये गये 1 लाख करोड़ रुपये के त्याग से बहुत कम है।

- **उपभोग वृद्धि पर कमजोर प्रभाव:**
  - **निजी खपत 200.30 लाख करोड़ रुपये है:** 25,000 करोड़ रुपये की कर राहत समग्र उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए बहुत कम है।
  - **वास्तविक आय में गिरावट आई है:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से पता चलता है:
    - वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों की वास्तविक कमाई 12,665 रुपये (2017-18) से गिरकर 11,858 रुपये (2022-23) हो गई।
    - इसी अवधि में स्व-रोज़गार महिलाओं की वास्तविक कमाई 4,348 रुपये से गिरकर 2,950 रुपये हो गई।
  - **कर कटौती से गैर-करदाताओं को कोई मदद नहीं मिलती:** अधिकांश निम्न-आय वाले और अनौपचारिक श्रमिकों (जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं) को कोई लाभ नहीं दिखता है, जिससे व्यापक-आधारित उपभोग पर कर कटौती का प्रभाव सीमित हो जाता है।
- **दीर्घकालिक निवेश की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्रोत्साहित करता है:**
  - **कर कटौती अस्थायी राहत प्रदान करती है:** बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के विपरीत, जिसके दीर्घकालिक लाभ होते हैं, कर कटौती मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
  - **संरचनात्मक विकास के मुद्दों को संबोधित नहीं करता:** वास्तविक आर्थिक विकास रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि पर निर्भर करता है, जिसे कर कटौती सीधे संबोधित नहीं करती है।
- **राजकोषीय असंतुलन बढ़ सकता है:**
  - **राजस्व हानि की भरपाई की आवश्यकता:** हालांकि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, लेकिन कम कर संग्रह के कारण कल्याण और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में कमी आ सकती है।
  - **संभावित दीर्घकालिक राजकोषीय जोखिम:** यदि आर्थिक विकास के साथ तालमेल नहीं बैठाया गया, तो कर कटौती से भविष्य के बजट में घाटा बढ़ सकता है, जिसके लिए भविष्य में कर वृद्धि या व्यय में कटौती की आवश्यकता होगी।
- **शहरी पूर्वाग्रह - ग्रामीण भारत की उपेक्षा:**
  - **उच्च आय वाले शहरी करदाताओं के पक्ष में झुकाव:** कर कटौती से मुख्य रूप से शहरी, वेतनभोगी पेशेवरों को लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है।
  - **ग्रामीण मांग एक बड़ी चिंता है:** हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण खपत शहरी खपत की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण आय का समर्थन करना कर कटौती की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रोत्साहन होगा।

**स्रोत:** **Indian Express: Tax cut will have multiplier effect and Only a few benefit**